

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

दिनांक..... तक
आदेश पत्रक
जिला:- पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं०..... 196 / सन् 2013-14

| आदेश की क्र०सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|---------------|-------|-------|------|----------|----|-----|-----|---------------|------|--|
| 13/4/13 | <p>श्री. लाल मोहन शर्मा वल्द स्व. प्रियेजी शर्मा ग्राम शिवनगर पो० थाना करपी जिला अरवल केवाला नं० 4150 दिनांक 31/03/2013</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा</th> <th>एराजी</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 नाशपुर</td> <td>34</td> <td>187</td> <td>249</td> <td>1770 कगफिट</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 24/4/13 को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> | मौजा | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा | एराजी | लगान | 3 नाशपुर | 34 | 187 | 249 | 1770 कगफिट | 2.00 | |
| मौजा | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा | एराजी | लगान | | | | | | | | | |
| 3 नाशपुर | 34 | 187 | 249 | 1770 कगफिट | 2.00 | | | | | | | | | |

CEM-1067
4/5/13

24/4/13

निरीक्षक

CP

CP